

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 57/2024

उनवान

1. शंकर लाल पुत्र नन्दलाल माली नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. प्यारी बाई पत्नी नन्दलाल माली नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मिदू लाल पुत्र मोहन लाल माली नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. गोपाल लाल पुत्र मीदू लाल माली नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. गीता पुत्री नानूराम कुम्हार(प्रजापत) नि० भांडा की गाली भीलवाडा दरवाजा के पास हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. पिकी पुत्री नानूराम कुम्हार(प्रजापत) नि० भांडा की गाली भीलवाडा दरवाजा के पास हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. मुकेश पुत्र नानूराम कुम्हार(प्रजापत) नि० भांडा की गाली भीलवाडा दरवाजा के पास हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. शान्ती पत्नी नानूराम कुम्हार(प्रजापत) नि० भांडा की गाली भीलवाडा दरवाजा के पास हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
7. भगवान पुत्र मुला कुम्हार(प्रजापत) नि० भांडा की गाली भीलवाडा दरवाजा के पास हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. भैरू लाल पुत्र मुला कुम्हार(प्रजापत) नि० भांडा की गाली भीलवाडा दरवाजा के पास हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. शंकरलाल पुत्र नन्द लाल माली नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
10. कालू पुत्र जमना माली नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।


—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 20.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 22.04.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ भू.अ.नि. हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 1528 की आ.न. 2860/3 रकबा 0.0632 है०, आ.न. 2865 रकबा 0.2655 है०, आ.न. 2872/1 रकबा 0.1770 है०, कुल किता 03 कुल रकबा 0.5057 है० भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.05.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 10 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ (उप.)

**--:आदेश:-**

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ भू.अ.नि. हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 1528 की आ.न. 2860/3 रकबा 0.0632है0, आ.न. 2865 रकबा 0.2655है0, आ.न. 2872/1 रकबा 0.1770है0, कुल किता 03 कुल रकबा 0.5057 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 20.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ  
हमीरगढ (राज.)